राजस्थान सरकार
नगरीय विकास विभाग

क्रमांकः प.1(30)नविवि/जयपुर/2020 जयपुर दिनांक : 28 JUL 2020

सचिव,
जयपुर विकास प्राधिकरण,
जयपुर।

विषयः– मास्टर विकास योजना 2011 में अंकित ईकोलोजिकल क्षेत्र में स्थित अनुमोदित जविप्रा/निजी खातेदारी/सोसाईटी योजनाओं में नाम हस्तान्तरण के सम्बन्ध में।

संदर्भः– आपका पत्र क्रमांक : जविप्रा/जोन–10/2020/डी–428 दिनांक 18.05.2020

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत आपके संदर्भित पत्र के क्रम में निर्देशानुसार लेख है कि मास्टर विकास योजना 2011 में अंकित ईकोलोजिकल क्षेत्र में स्थित अनुमोदित जविप्रा/निजी खातेदारी/सोसाईटी योजनाओं में नाम हस्तान्तरण के सम्बन्ध में निम्नानुसार कार्यवाही की जावेंः–

1. वर्ष 2008 से पूर्व किये जा चुके भू–उपयोग परिवर्तन व माननीय उच्च न्यायालय की खण्डपीठ, जोधपुर के आदेश दिनांक 12.01.2017 व 15.12.2018 के परिपेक्ष्य में माननीय न्यायालय के निर्णय दिनांक 09.12.2010 के पश्चात मास्टर डवलपमेंट प्लान–2011 में किये गये अन्य परिवर्तन उक्त निर्देशों से प्रभावित होने के कारण operative नहीं किया जाकर माननीय न्यायालय के अन्तिम निर्णय होने तक मास्टर डवलपमेंट प्लान–2011 के अनुरूप ही स्वीकृति दी जावें।
2. मास्टर डवलपमेंट प्लान–2025 में प्रस्तावित ईकोलोजिकल जोन व मास्टर डवलपमेंट प्लान–2011 में दिनांक 09.12.2010 के पश्चात मास्टर डवलपमेंट प्लान–2025 में ईकोलोजिकल जोन के स्थान पर दर्शाये गये अन्य भू–उपयोगों में मास्टर डवलपमेंट प्लान–2025 के अन्तर्गत डीपीसीआर में अनुज्ञेय ईकोलोजिकल जोन हेतु गतिविधियों एवं मानदण्डों के अनुरूप स्वीकृति दी जावें।
3. मास्टर डवलपमेंट प्लान–2011 के ईकोलोजिकल जोन में दिनांक 09.12.2010 के पूर्व में अनुमोदित किये जा चुके सेक्टर प्लान/जोनल प्लान/ले–आउट प्लान/भू–उपयोग/भवन निर्माण स्वीकृति आदि के अनुसार दी जा चुकी स्वीकृतियों को Honour करते हुये तदनुसार कार्यवाही की जावें यथा भवन निर्माण स्वीकृति 90–ए, ले–आउट प्लान, नाम हस्तान्तरण आदि जारी रखे जावें।
4. ऐसे प्रकरण जिनमें माननीय उच्च न्यायालय के निर्देश दिनांक 12.01.2017 से पूर्व किसी भी योजना के तहत अनुमोदन पश्चात् ले–आउट प्लान अनुमोदन/पट्टा जारी करना आदि की कार्यवाही की जा चुकी है, ऐसे प्रकरणों में भूखण्डों के नाम हस्तान्तरण की कार्यवाही इस शर्त पर की जा सकती है कि भूखण्ड पर निर्माण माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशों के संदर्भ में सक्षम स्तर से उचित निर्णय अनुसार ही देय होगी एवं तब तक भूखण्ड को यथा स्थिति में ही रखा जावें।

भवदीय,

(ह्रदेश कुमार शर्मा)
संयुक्त शासन सचिव–तृतीय